रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042025-262289 CG-DL-E-04042025-262289

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 278] No. 278] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 4, 2025/ चैत्र 14, 1947 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 4, 2025/ CHAITRA 14, 1947

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अप्रैल, 2025

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विदेशी शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अर्हताओं को मान्यता और समतुल्यता प्रदान करना) विनियम. 2025

फा.सं.1-9/2023 (समतुल्यता).—जबिक, भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतरराष्ट्रीयकरण में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की भूमिका, अन्य देशों के साथ अकादिमक सहयोग पर भारत द्वारा नए सिरे से बल दिए जाने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 के संदर्भ में कई गुना बढ़ गई है, और एक पृष्ठभूमि के रूप में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वर्ष 2021 के जुलाई में शिक्षा के अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, विदेशों में भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का ब्रांड-निर्माण, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ अकादिमक और अनुसंधान सहयोग, ट्विनिंग व्यवस्था के अंतर्गत क्रेडिट मान्यता, वैश्विक नागरिकता दृष्टिकोण और विदेशी पूर्व विद्यार्थियों के साथ जुड़ने जैसी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला को सूचीबद्ध करते हैं;

और जबिक, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भारतीय और विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम, 2022 प्रदान करने के लिए अकादिमक सहयोग के संबंध में विनियमों को अधिसूचित किया है और इसने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अर्हता ढांचा भी विकसित किया है जो अर्जित किए गए ज्ञानअर्जन के विनिर्दिष्ट स्तरों के लिए मानदंडों के एक सेट के अनुसार अर्हताओं के वर्गीकरण और मान्यता के लिए एक साधन है और यह आशा की जाती है कि इन सुधारों के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों की गतिशीलता में बहुत वृद्धि होगी;

2365 GI/2025 (1)

और जबिक, सामान्य (शैक्षिक), व्यावसायिक और अनुभवात्मक ज्ञानअर्जन (सीखने) को शामिल करते हुए एक अधिक व्यापक और प्रभावी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है और यह एकीकरण विद्यालयी और उच्चतर शिक्षा सिहत सभी स्तरों पर विद्यार्थियों के लिए ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गतिशीलता के साथ प्रासंगिक अनुभवों और दक्षता के स्तरों को शामिल करेगा;

और जबिक, इस दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए, राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचे को एक समावेशी 'मेटा-फ्रेमवर्क' के रूप में भी तैयार किया गया है, जो विद्यालयी शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, व्यावसायिक और कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को निर्बाध रूप से एकीकृत करता है; जो ज्ञानअर्जन के प्राप्त स्तर के लिए विशिष्ट मानदंडों के आधार पर अर्हताओं को वर्गीकृत करने और मान्यता देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है;

और जबिक, उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने तथा विद्यार्थियों की सुगम गितशीलता को सक्षम बनाने के लिए, विदेशी अर्हताओं को मान्यता देने तथा विद्यालयी और उच्चतर शिक्षा दोनों स्तरों पर ऐसी अर्हताओं को समतुल्यता प्रदान करने के लिए एक सुदृढ़ और पारदर्शी तंत्र आवश्यक समझा जाता है, जिसकी देखरेख विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की जाएगी।

अब, इसलिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12 के खंड (ञ) और धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (च) और (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु:

- 1. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग और प्रारम्भण (1) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विदेशी शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अर्हताओं को मान्यता और समतुल्यता प्रदान करना) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
- (2) ये विदेशी शिक्षा संस्थानों द्वारा चिकित्सा, भेषजी, नर्सिंग, विधि और वास्तुकला जैसे विषयों में प्रदान की गई व्यावसायिक अर्हताओं और भारत में संबंधित सांविधिक परिषदों के मानदंडों द्वारा विनियमित ऐसी अन्य अर्हताओं पर लागू नहीं होंगे।
- (3) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएँ (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "अधिनियम" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) अभिप्रेत है:
 - (ख) "बोर्ड" से किसी विदेशी देश के कस्बे, शहर, काउंटी या राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को निर्देशित और प्रशासित करने के लिए विधिवत रूप से अधिकृत या मान्यता प्राप्त और स्थापित बोर्ड या निकाय अभिप्रेत है:
 - (ग) "समतुल्यता प्रमाणपत्र" से किसी विदेशी अर्हता और भारतीय बोर्ड या विश्वविद्यालयों द्वारा उस स्तर पर प्रदान की गई अर्हता के बीच के स्तर के संदर्भ में अर्हता की समानता को प्रमाणित करने वाला एक दस्तावेज अभिप्रेत है;
 - (घ) "शुल्क" से किसी समतुल्यता प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय छात्रों द्वारा देय आवेदन प्रसंस्करण शुल्क अभिप्रेत है;
 - (ङ) "विदेशी शिक्षा संस्थान" से एक शिक्षा संस्थान अभिप्रेत है जो अपने मूल देश में किसी विधि सम्मत तरीके जैसे न्यास या सोसायटी या कंपनी या सांविधिक निकाय या अन्य कानूनी रूपों में मान्यता प्राप्त और स्थापित या निगमित है और जो अपने गृह क्षेत्राधिकार के भीतर और बाहर, जैसा भी मामला हो, विद्यालयी और उच्चतर शिक्षा स्तरों पर शैक्षणिक या अनुसंधान कार्यक्रम प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त या अधिकृत हैं;
 - (च) "फ्रैंचाइज़िंग" से अभिप्रेत है और इसमें शैक्षणिक संस्थान के अलावा किसी भी व्यक्ति या संस्थान या संगठन को डिग्री प्रदान करने की अनुमित देने की पद्धित शामिल है, और "फ्रैंचाइज़" और "फ्रैंचाइज़ी" शब्दों का अर्थ तदनुसार समझा जाएगा;
 - (छ) "अर्हता" से एक प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, या डिग्री अभिप्रेत है जो किसी सक्षम प्राधिकारी जैसे बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन के किसी विशेष कार्यक्रम के सफल समापन पर अपेक्षित ज्ञानअर्जन के परिणामों की विद्यार्थियों द्वारा प्राप्ति की मान्यता स्वरूप प्रदान की जाती है;

- (ज) "समीक्षा समिति" से समीक्षा के लिए अनुरोध करने वाले आवेदनों की जांच करने के लिए आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों की एक समिति अभिप्रेत है :
- (झ) "विद्यालय" से किसी विदेशी देश में विद्यालयी शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी विधिक तरीके से मान्यता प्राप्त, स्थापित या निगमित विद्यालय अभिप्रेत है:
- (অ) "स्थायी समिति" से मामला-दर-मामला आधार पर समतुल्यता की जांच करने के लिए आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञों की समिति अभिप्रेत है:
- (ट) "सांविधिक परिषद" से किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित निकाय अभिप्रेत है जो अध्ययन के सामान्य और व्यावसायिक कार्यक्रम के मानकों को विनियमित करने और किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में डिग्री प्रदान करने के लिए है;
- (ठ) "विद्यार्थी" से किसी शिक्षा संस्थान में दाखिला लेने वाला या दाखिला लेने का इच्छुक कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए, लेकिन अधिनियम में परिभाषित, शब्दों और अभिव्यक्तियों के वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट किए गए हैं।
- 3. विदेशी शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अर्हताओं को मान्यता देने और समतुल्यता प्रदान करने की शर्तें-(1) किसी विदेशी शिक्षा संस्थान से प्राप्त अर्हता को समतुल्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए निम्नलिखित के अध्यधीन मान्यता दी जाएगी, अर्थातु: -
- (क) अर्हता, किसी विदेशी शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रदान की गई हो जिसे उसके गृह देश में लागू प्रासंगिक कानूनों के अधीन विधिवत मान्यता प्राप्त हो;
- (ख) समतुल्यता प्रदान करने के लिए आवेदक ने ऐसे विदेशी शिक्षा संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों के अनुसार अर्हता प्राप्त करने के लिए अध्ययन कार्यक्रम का अनुसरण किया हो;
- (ग) ऐसे अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश स्तर की आवश्यकताएं भारत में अध्ययन के समकक्ष कार्यक्रम के समान हों।
- (2) स्थायी समिति यह निर्णय लेगी कि उप-विनियम (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट अपेक्षाएं उस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समान हैं या नहीं, और यह निर्णय निम्नलिखित विचारों पर आधारित होगा, अर्थात्:-
- (क) अध्ययन के उस कार्यक्रम के संबंध में विनिर्दिष्ट न्यूनतम अविध और यदि अध्ययन के कार्यक्रम की न्यूनतम अविध में अंतर है, तो समानता का आकलन दोनों कार्यक्रमों के अंतर्गत न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा और ऐसी समानता की गणना के लिए सामान्यीकृत क्रेडिट आवश्यकताओं के दस प्रतिशत तक के अंतर को स्वीकार्य माना जा सकता है:
- (ख) अध्ययन के उस कार्यक्रम की न्यूनतम क्रेडिट आवश्यकताएं, जिसमें निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा-
 - (एक) मूलभूत पृष्ठभूमि वाले पाठ्यक्रमों, विधाओं से संबंधित मुख्य पाठ्यक्रमों, विधाओं से संबंधित ऐच्छिक पाठ्यक्रमों, अंतर-विधा से संबंद्ध पाठ्यक्रमों और प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के संबंध में आवश्यकता;
 - (दो) न्यूनतम क्रेडिट के निर्धारण में योगदान देने वाले घटकों, जैसे प्रति सप्ताह संपर्क घंटों की संख्या, स्व-अध्ययन के लिए विनिर्दिष्ट घंटों की संख्या और अनुभवात्मक ज्ञानअर्जन की प्रमात्रा;
- (ग) अध्ययन के कार्यक्रम के अंतर्गत मूल्यांकन की प्रक्रिया, जिसमें शोध-प्रबंध या लघु शोध-प्रबंध का मूल्यांकन शामिल है, जहां यह उस अध्ययन के कार्यक्रम का एक घटक है;
- (घ) अध्ययन के कार्यक्रम के अंतर्गत शोध-प्रबंध, परियोजना, प्रशिक्षुता, अन्य व्यावहारिक या अनुभवात्मक ज्ञानअर्जन की आवश्यकता, यदि भारत में पेशकश किए जा रहे अध्ययन के समान कार्यक्रमों में ऐसी अपेक्षा अनिवार्य है;
- (ङ) बुनियादी पृष्ठभूमि पाठ्यक्रमों, विधाओं से संबंधित मुख्य पाठ्यक्रमों, विधाओं से संबंधित ऐच्छिक पाठ्यक्रमों, अंतर-विधा से जुड़े पाठ्यक्रमों, प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों और संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों से संबंधित पाठ्यक्रम के संबंध में निर्धारित पाठ्यचर्या परिणामों के संदर्भ में समतुल्यता।

- (3) किसी विदेशी शिक्षा संस्थान के विदेश स्थित परिसर से प्राप्त अर्हता को समतुल्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए निम्नलिखित के अध्यधीन मान्यता दी जाएगी. अर्थात:-
 - (क) विदेश स्थित परिसर को उस देश में, जहां परिसर स्थित है, के साथ ही उस देश में भी, जहां विदेशी शिक्षा संस्थान का मुख्य परिसर स्थित है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया हो;
 - (ख) विदेश स्थित परिसर में पेशकश किए गए शिक्षा कार्यक्रम, उस देश में मान्यता संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है जहां ऐसा विदेश स्थित परिसर मौजूद है,साथ ही विदेशी शिक्षा संस्थान के मूल देश में ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।
- (4) किसी भी परिसर या संस्थान से फ्रेंचाइज़िंग व्यवस्था के अंतर्गत या उसके माध्यम से प्राप्त अर्हता को समतुल्यता प्रदान करने के प्रयोजनार्थ मान्यता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
- (5) किसी अन्य देश में स्थित विद्यालय से प्राप्त अर्हता को भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थान में स्नातक और समतुल्य अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश के प्रयोजन के लिए समतुल्यता निर्धारित करने हेतु निम्नलिखित के अध्यधीन स्वीकार किया जाएगा, अर्थातु:-
 - (क) विदेशों में प्रचलित विद्यालयी शिक्षा प्रणाली को भारत में विश्वविद्यालयों और अन्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा स्नातक शिक्षा में प्रवेश के लिए वर्तमान में विचार किया जा रहा है, जो राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् (आईएससीई) के अधीन भारत में विद्यालयों द्वारा दी जाने वाली विद्यालयी शिक्षा के समतुल्य है; या
 - (ख) आवेदक ने स्नातक स्तर पर प्रवेश के लिए संबंधित विदेश की उच्चतर शिक्षा प्रणाली द्वारा स्वीकृत पद्धित के माध्यम से कम से कम बारह वर्षों तक विद्यालयी शिक्षा प्राप्त की है, बशर्ते, विद्यार्थी उस देश में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करना जारी रखता है; और
 - (ग) विद्यालय, जहां विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान की गई थी, साथ ही तत्पश्चात् 'स्कूल लीवींग एक्जामिनेशन', को विदेश में संबंधित बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया हो।
- (6) आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली अन्य शर्तें:
- परंतु यह कि किसी विदेशी उच्चतर शिक्षा संस्थान की उच्च शिक्षा अथवा अनुसंधान से जुड़ी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए, जो उच्चतर शिक्षा संस्थानों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त रैंकिंग में उसके स्थान से प्रमाणित होती है, आयोग समतुल्यता प्रदान करने के लिए एक या अधिक शर्तों में छूट दे सकता है।
- 4. समतुल्यता प्रदान करने की प्रक्रिया -(1) आयोग, विदेशी शिक्षा संस्थाओं से प्राप्त अर्हताओं के लिए समतुल्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के संबंध में आवेदन प्राप्त करने हेतु एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल का रखरखाव करेगा।
- (2) आवेदक, आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (3) यदि अपेक्षित दस्तावेज अंग्रेजी या अनुसूचित भारतीय भाषा के अलावा किसी अन्य भाषा में हैं, तो आवेदक को डिग्री प्रदान करने वाली संस्था द्वारा अंग्रेजी भाषा में विधिवत रूप से प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तत करनी होगी।
- (4) आयोग स्वयं द्वारा नामित एक स्थायी समिति को जांच के लिए आवेदन भेजेगा; और समिति में ऐसे व्यक्ति शामिल होंगे जो सामान्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में और विशेषरूप से उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ होंगे।
- (5) आयोग स्थायी समिति को अस्थायी रूप से और समय-समय पर ऐसे अन्य विशेषज्ञों को सहयोजित करने की अनुमित दे सकता है, जिनके सहयोग से समिति को अपने कार्यों के निर्वहन में विशेष रूप से लाभ हो सकता है।
- (6) स्थायी समिति अपनी बैठकों तथा आवेदन की जांच के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं तैयार कर सकती है तथा उस संबंध में इसकी सिफारिशें आयोग को यथाशीघ्र, परंतु आयोग से आवेदन प्राप्त होने की तिथि से दस कार्य दिवसों के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी तथा सिफारिश में स्वीकृति या अस्वीकृति, जैसा भी मामला हो, के आधारों का स्पष्ट उल्लेख होगा।
- (7) आयोग,स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति के संबंध में अपने निर्णय के बारे में आवेदक को सूचित करेगा तथा किसी भी मामले में,आवेदक से आवेदन की प्रारंभिक प्राप्ति की तिथि से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर सूचित करेगा।
- (8) यदि स्थायी समिति किसी कार्यक्रम की समतुल्यता की मान्यता के लिए आवेदन की स्वीकृति की सिफारिश करती है तथा उसपर सहमत होती है, तो उस आशय का समतुल्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा तथा आयोग द्वारा पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

- (9) यदि स्थायी समिति की राय है कि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी अपर्याप्त है तथा उसे अपनी सिफारिशें करने के लिए अतिरिक्त सूचना या दस्तावेज की आवश्यकता है, तो वह आयोग को स्थिति से अवगत कराएगी तथा आवेदक से अनुरोध करेगी कि वह उसे पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर आयोग को प्रस्तुत करे तथा समिति द्वारा सिफारिश से अवगत कराने तथा आवेदन पर निर्णय की सूचना देने की समय-सीमा तदनुसार बढ़ा दी जाएगी।
- (10) यदि आवेदक निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वह उप-विनियम (7) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति की तिथि से तीस कार्य दिवसों के भीतर, अस्वीकृति संबंधी अपने निर्णय की समीक्षा के लिए आयोग को अभ्यावेदन देने का हकदार होगा, साथ ही उसे समीक्षा दाखिल करने के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट शुल्क भी देना होगा।
- (11) आयोग, स्वयं द्वारा गठित की जाने वाली समीक्षा समिति के समक्ष समीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- (12) समीक्षा समिति में समीक्षा के लिए आवेदन में उठाए गए मुद्दों से परिचित विशेषज्ञ इतनी संख्या में शामिल होंगे, जिन्हें आयोग अपने निर्णय की निष्पक्षता और निष्पक्ष समीक्षा करने में सहायता के लिए आवश्यक समझे, और समीक्षा समिति अपनी स्वयं की प्रक्रियाएं तैयार कर सकती है।
- (13) समीक्षा समिति, समीक्षा के लिए आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों के साथ अपनी सिफारिश यथाशीघ्र, परंतु उप-विनियम (11) के अधीन उसे भेजे गए संदर्भ की तिथि से दस कार्य दिवसों के भीतर करेगी।
- (14) समीक्षा समिति की सिफारिश प्राप्त होने पर, आयोग समीक्षा के लिए मूल आवेदन की प्राप्ति की तिथि से पंद्रह कार्य दिवसों के भीतर, जैसा भी मामला हो, अस्वीकृति या स्वीकृति के कारणों को बताते हुए समीक्षा में अपना अंतिम निर्णय आवेदक को सूचित करेगा।
- (15) जहां समीक्षा के दौरान आयोग द्वारा आवेदन स्वीकार किया जाता है, उस आशय का एक समतुल्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- 5. प्रकीर्ण (1) विद्यार्थी को समतुल्यता प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, यदि उसने –
- (क) किसी विदेशी शिक्षा संस्थान, जहां अर्हता प्रदान करने वाला संस्थान स्थित है, से भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और किसी अन्य देश की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन या समझौते के रूप में सहयोगात्मक व्यवस्था के अंतर्गत अर्हता प्राप्त की गई है; अथवा
- (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (ट्विनिंग, संयुक्त डिग्री और दोहरी डिग्री कार्यक्रम प्रदान करने के लिए भारतीय और विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के बीच शैक्षणिक सहयोग) विनियम, 2022 या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारत में विदेशी उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023 के उपबंधों के अधीन अर्हता प्राप्त की गई है; अथवा
- (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी किसी अन्य विनियमन के उपबंधों के अधीन अर्हता प्राप्त की गई है।
- (2) यदि उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट विद्यार्थी समतुल्यता प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन करता है, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थायी समिति को संदर्भित किए बिना विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर उक्त प्रमाण-पत्र प्रदान करने हेतु विचार कर सकता है।
- (3) इन विनियमों के अधीन जारी समतुल्यता प्रमाण-पत्र, उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान करने के प्रयोजनों के लिए आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी शिक्षा संस्थानों, महाविद्यालयों, सम विश्वविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए वैध होगा; तथा उन सभी सार्वजनिक या अन्य निकायों में रोजगार के प्रयोजनों के लिए वैध होगा, जिनमें आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक अर्हता को आवश्यक बताया गया है।
- (4) यदि समतुल्यता प्रमाण-पत्र जारी करने के पश्चात् किसी भी स्तर पर आयोग के संज्ञान में आता है कि आवेदक ने इन विनियमों के अधीन इसे मिथ्या जानकारी के आधार पर या किसी अन्य तरीके से धोखाधड़ी करके प्राप्त किया है, तो आयोग को ऐसे आवेदक के विरुद्ध विधि के अनुसार उचित कार्यवाही आरंभ करने के अतिरिक्त ऐसे प्रमाण-पत्र को वापस लेने की शक्ति होगी।
- 6. निर्वचन (1) इन विनियमों के निर्वचन के संबंध में किसी भी प्रश्न का निर्णय आयोग द्वारा किया जाएगा।
- (2) आयोग को इन विनियमों के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी शंका, कठिनाई या विसंगति को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति होगी।

प्रो. मनिष आर. जोशी, सचिव

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th April, 2025

University Grants Commission (Recognition and Grant of Equivalence to Qualifications Obtained From Foreign Educational Institutions) Regulations, 2025

F. No. 1-9/2023(Equivalence).—Whereas, the role of the University Grants Commission in the internationalisation of the Indian education system has increased manifold in the wake of India's renewed thrust on academic collaboration with foreign countries and in the context of the National Education Policy (NEP), 2020, and as a background, University Grants Commission issued the Guidelines for Internationalisation of Education in July, 2021 which enumerate a wide array of activities such as internationally relevant curricula, the brand building of Indian Educational Institutions abroad, academic and research collaboration with foreign universities, credit recognition under twinning arrangements, a global citizenship approach, and engaging with foreign alumni;

And whereas, the University Grants Commission has notified regulations on Academic Collaboration between Indian and Foreign Higher Educational Institutions to offer Twinning, Joint Degree, and Dual Degree Programmes, 2022 and it has also evolved the National Higher Education Qualifications Framework which is an instrument for the classification and recognition of qualifications according to a set of criteria for specified levels of learning achieved and it is expected that the mobility of students will be greatly enhanced as a result of these reforms;

And whereas, there is a need for a more comprehensive and effective education system incorporating general (academic), vocational, and experiential learning and this integration will encompass relevant experiences and proficiency levels, with vertical and horizontal mobility for students at all levels, including School and Higher Education;

And whereas, to facilitate this vision, the National Credit Framework has also been devised as an inclusive meta-framework, seamlessly unifying the credits acquired through school education, higher education, vocational, and skill education; which serves as an instrumental tool for classifying and recognising qualifications based on specific criteria for the achieved level of learning;

And whereas, in furtherance of the above, and to enable the smooth mobility of students, a robust and transparent mechanism for recognising foreign qualifications and granting equivalence to such qualifications at both school and higher education levels is deemed necessary, which will be overseen by the University Grants Commission.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clauses (f) and (g) of sub-section (1) of section 26 read with clause (j) of section 12 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:

- **1. Short title, application, and commencement.** (1) These regulations may be called the University Grants Commission (Recognition and Grant of Equivalence to Qualifications obtained from Foreign Educational Institutions) Regulations, 2025.
- (2) They shall not apply to professional qualifications awarded by foreign educational institutions in disciplines such as Medicine, Pharmacy, Nursing, Law, and Architecture and such other qualifications regulated by the norms of respective Statutory Councils in India.
 - (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - **2. Definitions.** -(1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -
 - (a) "Act" means the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
 - (b) "Board" means a Board or a Body duly authorised or recognised and established to direct and administer the primary and secondary schools in a town, city, county, or state of the Foreign Country;
 - (c) "Equivalence Certificate" means a document certifying the parity of a qualification in terms of level between a foreign qualification and the qualification awarded at that level by the Indian Board or Universities;
 - (d) "Fee" means the application processing fee payable by the students while applying for an Equivalence Certificate;
 - (e) "Foreign Educational Institution" means an educational institution recognised and established or incorporated in any legal manner such as trust or society or company or statutory body or other legal

forms in the country of its origin and is recognised or authorised to offer academic or research programmes at the school and higher education levels, within and outside its home jurisdiction, as the case may be;

- (f) "Franchising" means and includes the practice of allowing any person or institution, or organisation, other than the Educational Institution, to award degrees, and the terms "franchise" and "franchisee" shall be construed accordingly;
- (g) "qualification" means a certificate, diploma, or degree awarded by a competent authority such as a Board or University in recognition of the attainment by students of the expected learning outcomes on the successful completion of a particular programme of study;
- (h) "Review Committee" means a committee of experts constituted by the Commission to examine the applications requesting for review;
- (i) "School" means a school, recognised and established or incorporated by any legal manner in a foreign country to impart school education;
- (j) "Standing Committee" means a committee of experts constituted by the Commission to examine equivalence on case to case basis;
- (k) "Statutory Council" means a body established or incorporated under a Central Act to regulate standards of general and professional programme of study and award of degrees in a specified field;
- (1) "Student" means any person attending or seeking to enroll in an educational institution.
- (2) Words and expressions used in these regulations and not defined, but defined in the Act, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.
- **3.** Conditions of recognition and grant of equivalence to qualifications obtained from Foreign Educational Institutions.— (1) A Qualification from a Foreign Educational Institution shall be recognised for grant of the equivalence certificate, subject to the following, namely: -
 - (a) the qualification has been awarded by a Foreign Educational Institution that is duly recognised under the relevant laws in force in its home country;
 - (b) the applicant for grant of equivalence has pursued the programme of study leading to the qualification in accordance with the norms and standards specified by such Foreign Educational Institution;
 - (c) the entry-level requirements for admission to such programme of study are similar to that of a corresponding programme of study in India.
- (2) The Standing Committee shall decide that whether the requirements referred to in clause (c) of sub regulations (1) are similar or not, in accordance with the procedure laid down for that purpose, and shall be based on the following considerations, namely:-
 - (a) the minimum duration specified in respect of that programme of study and in case, the minimum duration of the programme of study is at variance, the similarity shall be assessed in terms of the minimum credit requirements under the two programmes and a variation of up to ten per cent of the normalised credit requirements may be considered permissible for computing such similarity;
 - (b) the minimum credit requirements of that programme of study, taking into account-
 - (i) the requirement with respect to the basic background courses, disciplinary core courses, disciplinary elective courses, cross-disciplinary courses, and laboratory courses;
 - (ii) the components contributing to the determination of the minimum credit, such as, the number of contact hours per week, the number of hours specified for self-study and the quantum of experiential learning;
 - (c) the process of evaluation under the programme of study, including evaluation of the thesis or dissertation where the same is a component of that programme of study;
 - (d) the requirement of a thesis, project, internship, other hands-on or experiential learning under the programme of study, if the corresponding programme of study offered in India mandates such a requirement;
 - (e) the equivalence in terms of the curricular outcomes as determined in respect of the curriculum pertaining to the basic background courses, disciplinary core courses, disciplinary elective courses, cross-disciplinary courses, laboratory courses and such other courses under the respective programme.

- (3) A qualification obtained from the Off-Shore Campus of a Foreign Educational Institution shall be recognised for grant of the equivalence certificate, subject to the following, namely: -
 - (a) the Off-Shore Campus has been approved by the competent authority in country where the campus is situated as well as in the country of origin where the main campus of the Foreign Educational Institution is located:
 - (b) the academic programme offered at the Off-Shore Campus complies with the requirements of accreditation in the country where such Off-Shore Campus is located, as well as any such requirements in the country of origin of the Foreign Educational Institution.
- (4) A qualification obtained from any campus or institution under or through a Franchising arrangement shall not be considered for recognition for the purposes of grant of equivalence.
- (5) A qualification obtained from a School situated in a foreign country shall be accepted for determining equivalence for the purpose of admission to undergraduate and equivalent programmes of study in a higher educational institution in India, subject to the following, namely:-
 - (a) the system of school education prevailing in the foreign country is being considered at present for admissions to undergraduate education by Universities and other higher educational institutions in India, as being equivalent to schooling imparted by schools in India under the State Boards of Secondary Education, the Central Board of Secondary Education or the Council for Indian School Certificate Examinations; or
 - (b) the applicant has undergone School education for at least twelve years through a mode accepted by the higher education system of the relevant foreign country for admission to the undergraduate level, had the student continued to pursue higher education in that country; and
 - (c) the School where the student was imparted education, as well as the school-leaving examination thereafter, has been recognised by the relevant Board in the foreign country.
 - (6) Any other conditions as may be decided by the Commission from time to time:

Provided that having regard to the high academic or research reputation of a Foreign Higher Educational Institution which is evidenced by its standing in internationally recognised rankings of higher education institutions, the Commission may relax one or more of the considerations for the grant of Equivalence.

- **4. Procedure for granting equivalence.** (1) The Commission shall maintain a dedicated online portal to receive applications for the grant of equivalence certificate to qualifications obtained from foreign educational institutions.
 - (2) The applicant shall submit an application online, along with such fee as may be specified by the Commission, from time to time.
 - (3) In case the required documents are in a language other than English or a Scheduled Indian Language, the applicant must submit a transcript in English, duly authenticated by the degree awarding institution.
 - (4) The Commission shall refer the application for examination by a Standing Committee to be nominated by it; and the committee shall consist of persons who shall be experts in the field of education in general, and higher education in particular.
 - (5) The Commission may permit the Standing Committee to co-opt, temporarily and from time to time, such other experts whose association may specifically benefit the Committee in the discharge of its functions.
 - (6) The Standing Committee may devise its own procedures for its meetings and for the examination of an application and its recommendation thereon shall be made available to the Commission, as soon as may be, but not later than ten working days from the date of receipt of the application from the Commission and the recommendation shall clearly state the grounds for acceptance or rejection, as the case may be.
 - (7) The Commission shall communicate to the applicant, its decision based on the recommendation made by the Standing Committee, regarding the acceptance or rejection of the application and in any case, not later than fifteen working days from the date of initial receipt of the application from the applicant.
 - (8) In case, the Standing Committee recommends and concurs with acceptance of the application for recognition of equivalence of a programme, an equivalence certificate to that effect shall be issued and made available by the Commission on the portal.
 - (9) In case, the Standing Committee is of the opinion that the information furnished by the applicant is insufficient, and additional information or document, is required by it to make its recommendations, it shall convey the status to the Commission, and shall ask the applicant to furnish the same to the Commission within a further period of fifteen working days, and the time-limit for conveying the recommendation by the Committee and for communicating the decision on the application, shall stand extended, accordingly.

- (10) In case, the applicant is not satisfied with the decision, the applicant shall be entitled to make a representation to the Commission for a review of its decision of rejection, within thirty working days from the date of receipt of the communication referred to in sub-regulation (7), along with such fee for the filing of the review as the Commission may specify.
- (11) The Commission shall cause to place the application for review before a Review Committee to be constituted by it.
- (12) The Review Committee shall consist of such number of experts, familiar with the issues raised in the application for review, as the Commission may consider necessary to assist it to arrive at a fair and objective review of its decision, and the Review Committee may devise its own procedures.
- (13) The Review Committee shall make its recommendation, along with reasons for acceptance or rejection of the application for review, as soon as may be, but not later than ten working days from the date of the reference made to it under sub-regulation (11).
- (14) On receipt of the recommendation of the Review Committee, the Commission shall communicate to the applicant, its final decision in review stating the reasons for rejection or acceptance as the case may be, not later than fifteen working days from the date of receipt of the original application for review.
- (15) Where the application in review is accepted by the Commission, an equivalence certificate to that effect shall be issued and made available on the online portal.
- **5. Miscellaneous.** (1) The student is not required to apply for grant of equivalence certificate, if he has obtained a Qualification, -
 - (a) from a Foreign Educational Institution under a collaborative arrangement in the form of a Memorandum of Understanding or an agreement between the Government of India or University Grants Commission and the Government of a foreign country where the Qualification awarding institute is located; or.
 - (b) under the provisions of the University Grants Commission (Academic Collaboration between Indian and Foreign Higher Educational Institutions to offer Twinning, Joint Degree and Dual Degree Programmes) Regulations, 2022 or the University Grants Commission (Setting up and Operation of campuses of Foreign Higher Educational Institutions in India) Regulations, 2023; or
 - (c) under the provisions of any other regulations issued by the University Grants Commission.
 - (2) In case, the student referred to in sub-regulation (1) applies for grant of equivalence certificate, the University Grants Commission may consider for granting of the said certificate on payment of specified fee without reference to the Standing Committee.
 - (3) The equivalence certificate issued under these regulations shall be valid for all academic institutions, colleges, institutions deemed to be universities and universities, coming under the purview of the Commission, for the purposes of pursuing higher education and research; and for the purposes of employment in all public or other bodies wherein an educational qualification recognised by the Commission has been specified as essential.
 - (4) If, at any stage after the issue of the equivalence certificate, it comes to the notice of the Commission that the applicant has obtained the same under these regulations on the basis of false information or fraud in any other manner, the Commission shall have the power to withdraw such Certificate, in addition to initiating appropriate proceeding as per law against such applicant.
- **6. Interpretation.** (1) Any question as to the interpretation of these regulations shall be decided by the Commission.
- (2) The Commission shall have the power to issue clarifications, to remove any doubt, difficulty, or anomaly which may arise while implementing these regulations.

Prof. MANISH R. JOSHI, Secy. [Advt.-III/4/Exty./11/2025-26]